उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTIN: 09AACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिनांक / /2022

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2022

ई–मेल द्वारा

विषयः– Government Entity को प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के दिशा–निर्देश सं0 18/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 06.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा बिन्दु सं0 04 में निगम द्वारा आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने पर ठेकेदारों को देय जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत लागू थी, जो कि दिनांक 01.01.2022 से जी0एस0टी0 की पूर्व लागू दर 12 प्रतिशत के स्थान पर **18 प्रतिशत लागू होगी।**

(ए0 के0 अवस्थी)

मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 18(A)/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2022 तद्दिनांक 25/01/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद), शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
9. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(चेतन गर्ग)

लेखाधिकारी (जी0एस0टी0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांक 18 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 06/03/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषयः– Government Entity को प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में।

जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार Government Entity की परिभाषा निम्नलिखित अनुसार है–

"Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or ii) established by any Government, with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उपरोक्त परिभाषा को पूर्ण करता है, अतः उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार Government Entity है।जी0एस0टी0 नियमानुसार Government Entity को निम्नलिखित लाभ प्राप्त है:

1. जी0एस0टी0 की अधिसूचना संख्या 32/2017-CT(Rate) दिनांक 13.10.2017 के अनुसार Government Entity द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी को दी जाने वाली सेवाओ पर, जिसका प्रतिफल केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जायेगा, जी.एस.टी. की दर शून्य होगी।
2. मध्यस्थ न्यायाधिकरण/अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म/व्यक्तिगत वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं के भुगतान पर RCM के तहत जी0एस0टी0 देय नही होगा।
3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय द्वारा भूमि के पट्टे के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जी0एस0टी0 देय नही होगा
4. निगम द्वारा आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने पर ठेकेदारों को देय जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत लागू होगी।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 18 /उ0प्र0पा0(टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2020 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 /केस्को/ लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस आशय के साथ कि अपने कर सलाहकार से Government Entity हेतु चर्चा कर अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण सस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम न0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)